लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 314

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2020

हाथ से मैला ढोने वालों के लिए प्रशिक्षण

314. **श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः**
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2018 और 2019 के दौरान अब तक पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;
(ग) पहचान किए गए लोगों में से कम संख्या में हाथ से मैला ढोने वालों को प्रशिक्षण दिए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) हाथ से मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए विभिन्न घटकों के तहत आवंटित कुल निधि (एसआरएम) और उनके मंत्रालय द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है;
(ङ) कम खर्च के क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध् में आगे उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों के साथ हाथ से मैला ढोने वालों और इन जिलों में उन लोगों के कल्याण के लिए प्रदान की गई सहायता की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए गए जिलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018-19 में दिनांक 27.01.2020 तक 47,775 मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान की गई है।

(ख): वर्ष 2013-14 से 8601 मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग): मैनुअल स्केवेंजरों की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा आयु समूह के कारण, अधिकांश ने कौशल विकास प्रशिक्षण का चयन नहीं किया है।

(घ): मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के अंतर्गत निधियों का कोई घटक-वार आवंटन नहीं किया गया है। गत तीन वर्षों में स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास लाभ प्रदान करने हेतु बजट आवंटन और जारी निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निधियों का आवंटन	जारी निधियां
2017-18	5.00	5.00
2018-19	85.76	85.76
2019-20	110	69.80 (31 दिसम्बर, 2019 तक)

(ड.): एसआरएमएस एक मांग आधारित स्कीम है और यह व्यय समय-समय पर अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या पर निर्भर होता है।

(च): राष्ट्रीय सर्वेक्षण 18 राज्यों के 194 जिलों में किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अभिज्ञात 27,813 मैनुअल स्केवेंजरों को दिनांक 27.01.2020 तक, प्रत्येक को 40,000/- रुपए की एकबारगी नकद सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजर तथा उसके आश्रित 3,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से वजीफा के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण पाने तथा स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए बैंक ऋण पर अधिकतम 3,25,000/- रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी पाने के पात्र हैं। इस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों के सघनता वाले जिलों में लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण लेने हेतु प्रेरित करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

*****